न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 09/23 सन् 2023

GCMS NO-2023/ 55

बउनवानीः—1. घीसी पुत्री कल्याण पत्नि हरिभजन जाति गुर्जर निवासी रईथा खुर्द, हाल निवासी कुण्डेर तहसील उनियारा जिला टोंक

2. गल्ली पत्नि कल्याण जाति गुर्जर निवासी रईथा खुर्द तह0,सवाईमाधोपुर

बनाम

1. नानगी पत्नी कजोड गुर्जर निवासी रईथा खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर
2. बर्मा पुत्री कजोड गुर्जर निवासी रईथा खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर
3. बरमेश पुत्री कजोड गुर्जर निवासी रईथा खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर
4. ममता पुत्री कजोड गुर्जर निवासी रईथा खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर
5. नटी पुत्री कजोड गुर्जर निवासी रईथा खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर
6. देवपाल पुत्र छीतर गुर्जर निवासी रईथा खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर
7. रामस्वरूप पुत्र छीतर गुर्जर निवासी रईथा खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर
8. श्योजी पुत्र छीतर गुर्जर निवासी रईथा खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर
9. स्वरूपी पुत्र छीतर गुर्जर निवासी रईथा खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर
10. सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 289 दिनांक 07.01.1983 वाके ग्राम रईथा खुर्द तह0 सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा — वकील अपीलान्ट

2. श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल/श्री शिवचरण सोनी — वकील रेस्पोडेन्ट

—: निर्णय :— दिनांक 3.12.2024

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर के द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 289 निर्णय दिनांक 7.1.1983 वाके ग्राम रईथा खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण खारिज योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक कल्याण पुत्र भोरया के वारिसान की जॉच ग्राम पंचायत से करवाये बिना ही अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है क्योकि मृतक [illegible] संख्या 2 व कल्याण की पुत्री अपीलान्ट संख्या 1 को कल्याण की विरासत मे [illegible] दिया गया है। अर्थात कल्याण के सभी विधिक वारिसान के नाम [illegible] संख्या 289 नही खोला गया है। यह तर्क भी दिया कि 45 दिवस तक नामा0 [illegible] अधिकार [illegible]चायत को प्राप्त होता है किन्तु यह [illegible] तहसीलदार सवा[illegible] द्वारा जल्दबाजी मे मृतक के विधिक वारिसान की जॉच किये बिना ही राजस्व अभियान के दौरान

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:01:54 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

अपने आकडे पूरे करने के लिए दर्ज फैसल कर दिया है। यदि ग्राम पंचायत द्वारा यह नामा0 दर्ज फैसल किया जाता तो सभी विधिक वारिसान की जॉच हो जाती परन्तु केवल मात्र पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि दिनांक 25.3.2023 को अपीलान्ट संख्या 1 अपनी मॉ अपीलान्ट संख्या 2 से मिलने गावं आने पर अपीलान्ट संख्या 1 की भाभी रेस्पो. संख्या 1 ने अपीलान्ट गल्ली के साथ अभद्र व्यवहार कर गांव में स्थित कृषि भूमि व मकान मे किसी तरह का अधिकार नही होने बाबत विवाद करने पर प्रार्थीया ने दिनांक 29.3.2023 को साबिक जमाबन्दी प्राप्त करने हेतु नकल का आवेदन पत्र प्रस्तुत करके एवं नामा0 की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत करके नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई है। जानकारी के अभाव मे हुई देरी को न्यायहित मे कन्डोन किये जाने बाबत निवेदन करते हुए अपील अपीलान्ट दफा '5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज करने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील रेस्पो0 ने द्वौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील प्रथम तो मयाद बाहर है इसलिए खारिज योग्य है। क्योकि 40 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत करने का कोई उचित कारण नही बताया है। अपीलान्ट संख्या 1 का यह कहना भी गलत है कि रेस्पो0 द्वारा उसको गांव मे नही आने की धमकी दी गयी है। अपीलान्ट संख्या 2 रेस्पो. संख्या 1 की सास होने के काराण उसकी सार सम्भाल रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा की जा रही है। अपीलान्ट द्वारा किया गया यह कथन कि "यदि अपीलान्टगणों का राजस्व रिकार्ड मे नाम दर्ज होता तो उनका भी गांव मे इज्जत व सम्मान होता" से आदेश जैर अपील की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व से होने की पुष्टि हो जाती है। अतः मयाद बाहर प्रस्तुत अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत वकील रेस्पो0 द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षो द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है, कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील लगभग 40 वर्ष बाद पेश करने का कोई विधिसम्मत कारण नही बताया गया है तथा अपीलान्ट को मान सम्मान नही मिलने के कारण यह अपील पेश करने बाबत किये गये कथन को देरी का उचित/वैद्य कारण नही माना जा सकता है। जहॉ तक अपीलान्ट के मान सम्मान का मामला है तो यह दोनो पक्षो का व्यक्तिगत मामला है यदि अपीलान्ट चाहे तो नियमानुसार अपने अधिकार तय करवाने हेतु उदघोषणा का वाद सक्षम न्यायालय मे दायर कर सकता है। अतः अपील अपीलान्ट मयाद बाहर प्रस्तुत होने के कारण आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:01:54 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner